संख्या-401/77-6-14-5 (एम)/13

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ.प्र. शासन।
समस्त मण्डलायुक्त/ज़िलाधिकारी, उ.प्र.।
आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ.प्र.।
अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : 03 मार्च, 2014

विषय : प्रदेश में मेगा परियोजना की स्थापना को प्रोत्साहन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत् अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके प्रस्तर संख्या 5.7 'मेगा परियोजना' शीर्षक के अन्तर्गत मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने हेतु, केस-टू-केस आधार पर, विशेष सुविधाएं एवं रियायतें अनुमन्य कराये जाने का प्राविधान किया गया है।

2. प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की स्थापना के मार्ग में आने वाली कठिनाईयों के दृष्टिगत् नीति के प्रस्तर संख्या-5.7 के निम्न अंश को निम्नवत् संशोधित करने की श्री राजपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

प्रस्तर 5.7 का वर्तमान अंश	प्रस्तर 5.7 का संशोधित अंश
मेगा परियोजनाओं का तात्पर्य रु.200 करोड़ अथवा उससे अधिक निवेश करने वाली निजी क्षेत्र अथवा संयुक्त क्षेत्र (जिसमें शासकीय अथवा शासकीय उपक्रम की पूंजी 49 प्रतिशत अथवा उससे कम हो) की ऐसी औद्योगिक इकाइयों से है जो अपने सम्बंधित क्षेत्र में एंकर इकाई का कार्य करती हैं, वृहद् स्तर पर रोज़गार उपलब्ध कराती हैं तथा अपने क्षेत्र में सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाइयों को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देती हैं। ऐसी इकाइयों द्वारा वृहद् स्तर का पूंजी निवेश किया जाता है और इनसे प्रदेश को अनेक प्रकार के अप्रत्यक्ष लाभ होते हैं।	मेगा परियोजना का तात्पर्य रु.200 करोड़ अथवा उससे अधिक निवेश करने वाली निजी-क्षेत्र अथवा संयुक्त-क्षेत्र (जिसमें शासकीय अथवा शासकीय उपक्रम की पूंजी 49 प्रतिशत अथवा उससे कम हो) की समस्त औद्योगिक इकाइयों से है, जिसमें विस्तारीकरण/विविधीकरण करने वाली इकाइयाँ भी सम्मिलित हैं।

3. कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव

संख्या : संख्या- 401(1)/77-6-14-5(एम)/13 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उ.प्र., इलाहाबाद।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र. शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उ.प्र. शासन।
4. औद्योगिक विकास विभाग के समस्त संयुक्त सचिव, उप सचिव, अनुसचिव, एवं समस्त अनुभाग।
5. औद्योगिक विकास विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्ष/निगमों के प्रबंध निदेशक एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
6. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
7. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ.प्र.-लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि शासनादेश की 1500 प्रतियाँ मुद्रित करा कर औद्योगिक विकास अनुभाग-6 को उपलब्ध कराने एवं समस्त मण्डलायुक्त एवं ज़िलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को मुद्रित प्रतियाँ प्रेषित करने का कष्ट करें।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, उ.प्र. शासन।
9. नियोजन अनुभाग-1, उ.प्र. शासन।
10. गार्ड फाइल।

संलग्नकः यथोक्त

आज्ञा से,

(देवी प्रसाद)
संयुक्त सचिव

संख्या- 401(2)/77-6-14-5(एम)/13 , तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र.-लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि कृपया इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार समस्त समाचार-पत्रों में व अन्य प्रचार-माध्यमों से करवाने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(देवी प्रसाद)
संयुक्त सचिव